BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

in

Original Application No. 545/2022

In the matter of:-

In re: "Explosion in Bihar illegal firecracker unit kills five", published in The Hindu dated 25th July, 2022.

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	**Report by CPCB** in compliance to notice dated 25.07.2022 issued by Hon'ble NGT (PB) in O.A. No. 545 of 2022, In re: "Explosion in Bihar illegal firecracker unit kills five", published in The Hindu dated 25th July, 2022.	
2.	**Annexure-I:** A copy of notice dated 25.07.2022 issued by Hon'ble NGT (PB) in O.A. No. 545 of 2022.	
3.	**Annexure-II:** A copy of the inspection report of the unit carried out by Regional Office, Bihar SPCB, Muzzafarpur.	

(S.K. Gupta)
Scientist E
Central Pollution Control Board
Parivesh Bhawan
East Arjun Nagar, Delhi

Place- Delhi
Date- 03.08.2022

Report w.r.t Notice issued by Hon'ble NGT in Suo Moto matter - O.A. No. 545 of 2022, In re: "Explosion in Bihar illegal firecracker unit kills five", published in The Hindu dated 25th July, 2022

As per the news published in The Hindu dated 25th July, 2022, at least five people including a four year old child and a women were killed and four other injured in a massive explosion in an illegal firecracker unit in Saran district of Bihar.

The Hon'ble Tribunal directed Respondents to prepare the response. The matter is listed for hearing before Hon'ble Tribunal on 05.08.2022.

Taking Suo Moto cognizance of the news, Hon'ble NGT issued notice to various agencies including the Member Secretary, Central Pollution Control Board and directed as follows:

> *"Take notice that OA No. 545/2022 Titled* **"Explosion in Bihar illegal firecracker unit kills five",** *will be taken up for hearing by the NGT through Physical Hearing (with Hybrid Option) on Friday the 05th August, 2022.*

A copy of the Hon'ble NGT notice dated 25.07.2022 is annexed as **Annexure-I**.

In compliance to the aforesaid notice of Hon'ble NGT, CPCB sought report from Bihar State Pollution Control Pollution (BSPCB). Accordingly, Bihar State Pollution Control Board vide letter dated 29.07.2022 provided the inspection report. The site/unit was inspected by the official from Regional Office, Bihar SPCB, Muzzafarpur, to know the facts in the matter. Inspection report is annexed as **Annexure-II**.

The following facts are placed on the record based on the report shared by Regional Office, Muzzafarpur, Bihar SPCB:

- The site/unit is located in residential-cum-commercial area, which comes under the Police Station, Khaira.

- Site is located in Khudai Bagh, Jama Masjid, Police Station, Khaira, Dist. Saran (Latitude-25.8814, Longitude 84.8090).

- The manufacturing of fire cracker was carried out illegally at the residence of Sh. Reyazul Miyan. The incident of explosion took place on 24.07.2022 at 10.10 am and the explosion occurred due to fire in firecrackers. Gas cylinder also exploded during the incident. Four members of the same family and a neighbor were killed in the blast, besides two children and a nearby shopkeeper were injured.

- Accused, Sh. Reyazul Miyan S/o Late Sh. Rahamtulla urf Toni Miyan has been arrested.

Proposed action :

Bihar SPCB has proposed to issue closure directions under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 against the unit operator, Sh. Reyazul Miyan, S/o Late Sh. Rahamtulla urf Toni Miyan, Village Khudai Bagh Market, Khudai Bagh, thana Khaire, Dist Saran.

By Email

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH
FARIDKOT HOUSE, COPERNICUS MARG
NEW DELHI- 110001

Date: - 25.07.2022

To

1. The Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board (0612-2261709, msbspcb-bih@gov.in and bspcb@yahoo.com).
2. The Member Secretary, Central Pollution Control Board (011-22303655, mscb.cpcb@nic.in).
3. District Magistrate, Saran, Bihar-841301 (06152-240001, dm-saran.bih@nic.in).
4. Director of Department of Industries, Bihar- 800015 (0612-2235812, dir.ind-bih@nic.in)

Subject: - Notice of hearing in Suo Moto matter- **OA. No 545/2022**. In re: "**Explosion in Bihar illegal firecracker unit kills five**", published in **The Hindu** dated 25th July, 2022.

Sir/Madam,

Take notice that OA. No. **545/2022** (Copy enclosed) Titled "**Explosion in Bihar illegal firecracker unit kills five**", will be taken up for hearing by the NGT through Physical Hearing (with Hybrid Option) on Friday the 05th August, 2022.

You are therefore requested to be present before the Bench through Physical Hearing (with Hybrid Option) alongwith your response.

Video conferencing shall be conducted through Cisco Webex Mobile/Desktop App. Link to join the conference shall be sent at your email IDs. If any report/document is to be filed, the same can be sent through email at judicial-ngt@gov.in.

Encl. as Above

25/7/2022

Assistant Registrar

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट–सदाकत आश्रम, पटना–800 010
दूरभाष नं०–0612–2261250/2262265, फैक्स–0612–2261050

पत्रांकः– 1808 पटना–10, दिनांकः– 29.07.2022

प्रेषक,

एस० चन्द्रशेखर, भा.व.से.,
सदस्य–सचिव.

सेवा में,

डा० जी. पी. सिंह,
वैज्ञानिक 'डी',
केन्द्रिय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,
इस्टर्न जोनल ऑफिस,
कोलकाता 700107.

विषयः–बिहार राज्य के सारण जिला में अवस्थित खुदाई मार्केट, पोस्ट–खुदाईबाग, थाना–खैरा, पीनकोड–841415 में पूर्व से चल रहे अवैध पटाखा निर्माण कार्य पर दिनांक–24.07.2022 को हुई विस्फोट स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार राज्य के सारण जिला में अवस्थित खुदाई मार्केट, पोस्ट–खुदाईबाग, थाना–खैरा, पीनकोड–841415 में पूर्व से चल रहे अवैध पटाखा निर्माण कार्य का स्थल पर दिनांक–24.07.2022 को हुई विस्फोट घटना के आलोक में पर्षद् द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं अग्रतर कारवाई हेतु इस पत्र के साथ संर्लन कर प्रेषित की जा रही है (**प्रतिलिपि संलग्न**)।

अनु0:– यथो0

विश्वासभाजन,

29/7/22

(एस० चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव.

क्षेत्रीय कार्यालय
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
औद्योगिक प्रांगण, बेला, मुजफ्फरपुर–842005

पत्रांकः 1537 दिनांकः 26.07.2022

प्रेषक,

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,
पटना।

विषयः– **सारण जिला में अवस्थित खुदाई बाग मार्केट, पो0–खुदाई बाग, थाना–खैरा में अवैध पटाखा निर्माण स्थल पर दिनांकः 24.07.2022 को हुये बिस्फोट के आलोक में निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार सारण जिला में अवस्थित खुदाई बाग मार्केट, पो0–खुदाई बाग, थाना–खैरा में अवैध पटाखा निर्माण स्थल पर दिनांकः 24.07.2022 को हुये बिस्फोट के आलोक में स्थल निरीक्षण दिनांकः 25.07.2022 को श्री अशोक कुमार, स0वै0पदा0 द्वारा किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन एतद् द्वारा संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जा रही है।

निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में इकाई संचालक श्री रेयाजुल उर्फ निरहुआ, पिता स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियॉ, ग्राम–खुदाई बाग मार्केट, पो0–खुदाई बाग, थाना–खैरा, जिला–सारण के विरूद्ध वैधानिक कारवाई की जा सकती है।

अनु0:–यथो0

विश्वासभाजन
(ह0) 26/7/22
क्षेत्रीय पदाधिकारी
मुजफ्फरपुर।

निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण की तिथिः 25.07.2022

निरीक्षण पदाधिकारी का नाम एवं पदनामः श्री अशोक कुमार, सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

विषयः ग्राम–खुदाई बाग मार्केट, पो0–खुदाई बाग, थाना–खैरा में अवैध रूप से पटाखा निर्माण स्थल में दिनांकः 24.07.2022 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में हुए बिस्फोट के संबंध में।

पटाखा उत्पादनकर्ता का नाम एवं पताः श्री रेयाजुल उर्फ निरहुआ, साबीर तथा मुलाजीम मियाँ, पिता–स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियाँ, ग्राम–खुदाई बाग मार्केट, पो0–खुदाई बाग, थाना–खैरा, जिला–सारण।

घटना स्थल की विवरणः

1. घटनास्थल आवासीय–सह–व्यवसायिक क्षेत्र में अवस्थित है, जो खैरा थाना के अन्तर्गत आता है। घटनास्थलः खुदाई बाग, जामा मस्जिद, ओल्हनपुर रोड (पुल के पास), पो0–खुदाई बाग, थाना–खैरा, जिला–सारण (Latitude- 25.8814, Longitude- 84.8090) में अवस्थित है।
2. घटना के संबंध में स्थानीय निवासियों द्वारा अपना नाम जाहिर न करते हुए बताया गया कि टेनी मियाँ (मृत) के बेटे रेयाजुल मियाँ, साबिर अली तथा मुलाजीम मियाँ परिवार के साथ जिस घर में रहते थे, उनलोगो के द्वारा उसी घर में अवैध रूप से पटाखा निर्माण कार्य किया जा रहा था। घटना वाले दिन खाना बनाने के दौरान पटाखों में आग लग गयी जिसके बाद घर में रखा हुआ सिलेन्डर में भी बिस्फोट हो गया। बिस्फोट के कारण उनके परिवार के चार लोग एवं एक पड़ोसी जो उस समय घर में उपस्थित थे, की मौत हो गयी तथा दो बच्चा घायल हो गया। तथा बगल में अवस्थित दुकानदार असरफ भी घायल हो गया। यह बिस्फोट दिनांकः 24.07.2022 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में हुआ था।
3. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि घटनास्थल पर एक मंजिला पक्का मकान जिसके अन्दर अवैध पटाखा निर्माण किया जा रहा था। बिस्फोट के बाद पक्का मकान बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था तथा अगल बगल में मलबा बिखरा हुआ था। बिस्फोट के दौरान मलवा उड़कर सामने में अवस्थित लकड़ी से निर्मित गुमटी नुमा दुकान में भी गिरा जिसके कारण गुमटी भी ध्वस्त हो गया था तथा उस समय दुकान में उपस्थित अशरफ भी घायल हो गया एवं बगल में स्थित जामा मस्जिद में भी लगा है। जिसका निशान निरीक्षण के दौरान देखा गया।
4. घटनास्थल की चौहदी :–

   पुरबः– रोड + नदी का किनारा
   पश्चिमः–नदी का किनारा + आवासीय मकान
   उतरः– नदी
   दक्षिणः– जामा मस्जिद+खुदाई बाग मॉर्केट।
5. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि घटनास्थल के पास जिला प्रशासन द्वारा 6–7 की संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर घटनास्थल को शील कर दिया गया था। घटना के आस पास की सारी दुकाने बन्द पायी गयी।
6. निरीक्षण के दौरान खैरा थाना प्रभारी श्री विजय कुमार चौधरी (मो0 9608815123) से बार्ता हुई जिसमे उनके द्वारा बताया गया कि स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियाँ के लड़के रेयाजुल उर्फ निरहुआ, साबिर तथा मुलाजीम मियाँ पटाखा कारोबार से जुड़े थे। बिस्फोट के कारण रेयाजुल उर्फ निरहुआ की पत्नी सबाना, साबिर अली, मुलाजीम अली तथा इनकी पत्नी मीता बेगम और शाहजाद हुसैन पिता सैराजुदीन की भी मौत हो गयी तथा उन्ही के पुत्र एवं पुत्री सोना खातुन, तनुजा खातुन तथा असरफ घायल हो गये। घायलों को सदर अस्पताल छपरा ईलाज के लिए रेफर किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि साबिर अली एवं मुलाजीम मियाँ (मृतक), रेयाजुल उर्फ निरहुआ, पिता स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियाँ एवं अन्य आस–पास पटाखा व्यवसाय करने वाले को नामजद अभियुक्त बनाकर उनके विरूद्ध अग्रेतर कारवाई की जा रही है। अभियुक्त रेयाजुल उर्फ निरहुआ, पिता स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियाँ, ग्राम–खुदाई बाग मार्केट, पो0–खुदाई बाग, थाना–खैरा, जिला–सारण को गिरफ्तार कर लिया गया है।
7. **अभ्यिुक्तिः** उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि पर्षद् से बिना स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति आदेश प्राप्त किये आवासीय क्षेत्र में पटाखो के विनिर्माण का कारखाना लगाकर संचालन किया जा रहा था। जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत् अवैध है। पटाखा के निर्माण एवं भंडारण करने वाले इकाई को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की औधोगिक वर्गीकरण सूची में "लाल श्रेणी" क्रम संख्याः 14 में सूचीबद्ध किया गया है। संचालक मुलाजीम अली तथा साबिर अली की मृत्यु हो चुकी है।
8. **अनुसंशाः** इकाई संचालक श्री रेयाजुल उर्फ निरहुआ, पिता स्व0 रहमतुल्ला उर्फ टेनी मियाँ, ग्राम–खुदाई बाग मार्केट, पो0–खुदाई बाग, थाना–खैरा, जिला–सारण के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा के तहत् Proposed Closure Direction निर्गत किया जा सकता है।

   निरीक्षण के दौरान लिये गये Geo-Tagged Photograph संलग्न है।

Ashok Kumar
26/07/2022

(अशोक कुमार)
स0वै0पदा0
मुजफ्फरपुर

Jul 25, 2022 12:12:49 PM
25.8815N 84.8091E
Takia
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:13:47 PM
25.8814N 84.8090E
Warsi Bridge Road
Takia
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:13:21 PM
25.8814N 84.8090E
Warsi Bridge Road
Takia
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:14:48 PM
25.8814N 84.8089E
Takia
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:11:57 PM
25.8816N 84.8090E
Garkha Khidaibagh Road
Maksuspur
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:14:07 PM
25.8814N 84.8089E
Takia
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:14:37 PM
25.8814N 84.8090E
Takia
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:14:41 PM
25.8814N 84.8089E
Takia
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:14:22 PM
25.8814N 84.8089E
Takia
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:12:38 PM
25.8815N 84.8091E
Takia
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:13:26 PM
25.8814N 84.8090E
Warsi Bridge Road
Takia
Saran
Bihar

Jul 25, 2022 12:14:58 PM
25.8814N 84.8089E
Takia
Saran
Bihar